कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 14(Green Field)2018 / कोटा रोड्स / एफसीए / प्रमुवसं / दिनांक

वृक्षों के पातन / विस्थापन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति

जिला कोटा में Diversion of forest land for development of 8 lanes (Greenfield Highway) from (Ch. km 392.800) Bhanda Hera Village to (Ch. km 452.425) Moondiya Village Section of NH-148 N (Total length 59.625 km) Under Bharatmala Pariyojana Lot-4/ pkg-4 in the state of Rajasthan. (प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/36597/2018) के निर्माण हेतु 140.763 है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), लखनऊ के पत्रांक 8बी / राज / 06 / 22 / 2020 / एफसी / 49 दिनांक 24.12.2020 द्वारा जारी की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 11–306 / 2014–एफसी दिनांक 28.08.2015 की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों के अध्यधीन प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैं :

1. यह स्वीकृति, जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अंतरिम स्वीकृति प्रत्याहारित की जा सकती है एवं प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् कार्यवाही अमल में लायी जा सकती हैं।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंतरिम स्वीकृति अनुसार 1 वर्ष की अवधि में कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में समय रहते अभिवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार / पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।
5. विस्थापन योग्य वृक्षों का विस्थापन प्रयोक्त अभिकरण के व्यय पर किया जावेगा एवं वृक्ष के विस्थापन उपरान्त ही उक्त क्षेत्र में सडक निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जावेगा । वृक्षों के विस्थापन का सम्पूर्ण कार्य उप वन सरंक्षक कोटा एवं मुख्य वन संरक्षक कोटा के सख्त दिशा निर्देशन में किया जावेगा एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी। विस्थापित वृक्षों के विस्थापन उपरान्त सुरक्षा एवं संधारण हेतु वंछित राशि मांग अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उप वन संरक्षक कोटा को जमा कराई जावेगी एवं सभी प्रकार का सहयोग प्रदान किया जावेगा । इस आशय की वचनबद्धता प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किये जाने के उपरान्त ही मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा उनके अधीनस्थ क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। उक्त शर्त की अनुपालना नही होने पर यह स्वीकृति प्रत्याहारित की जावेगी एवं कार्य रोक दिया जावेगा।
6. परियोजना में निर्धारित सुरंग निर्माण में उत्पन्न मलबे में उपयोग योग्य मलबे का आंकलन नियमित तौर पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव कोटा एवं उप वन संरक्षक वन्यजीव

कोटा के दिशा निर्देशन में किया जावेगा। उपयोग योग्य मलबे के मूल्य का निर्धारण कर , अतिरिक्त राशि, यदि वांछित हो, तो जमा कराई जावेगी । अनुपयोगी मलबे का निस्तारण वन क्षेत्र के बाहर उपयुक्त स्थान पर किया जावेगा एवं वन क्षेत्र में मलबा एकत्रित नही किया जावेगा। इस आशय की वचनबद्धता प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिये जाने के उपरान्त ही मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव कोटा द्वारा उनके अधीनस्थ क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। उक्त शर्त की अनुपालना नही होने पर यह स्वीकृति प्रत्याहारित की जावेगी एवं कार्य रोक दिया जावेगा।

7. राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल की अनुशंसा अनुसार मुकुन्दरा हिल्स बाघ परियोजना के क्षेत्र से दो गांवों के विस्थापन हेतु CSR अन्तर्गत राशि जमा कराने में संबंध में पुर्नविचार प्रस्ताव में लिये गये निर्णय की अनुपालना करने की वचनबद्धता प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव कोटा का प्रस्तुत की जावेगी।

श्रुति

श्रुति शर्मा
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ 14(Green Fild)2018 / बूंदी रोड़सं / एफसीए / प्रमुवसं / 1325-35 दि.24/5/21
दिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई—दिल्ली—110001
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षैत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर—एच, अलीगंज, लखनऊ—226024 (उ0प्र0)
3. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
5. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (IT), जयपुर को दी जाकर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
6. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
7. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं क्षेत्र निदेशक, मकंदरा हिल्स टाईगर रिजर्व कोटा।
8. उप वन संरक्षक, कोटा एवं उप वन संरक्षक (वन्यजीव), मकंदरा हिल्स टाईगर रिजर्व कोटा को दी जाकर निर्देशित है कि समय—समय पर निरीक्षण कर अधिरोपित समस्त शर्तो की पालना सुनिश्चित करें।
9. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, कोटा।
10. रक्षी पत्रावली।

भवानी सिंह
उप वन संरक्षक,एफसीए,
राजस्थान, जयपुर